

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त - सितम्बर, 1995 सत्र

दिनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1995 (भाष्ट 29, 1917)

କୁ ଏହା ଶବ୍ଦରେ ଏହା ଲିଖି ଥିଲା ଯାହା ମାତ୍ରାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ

1. अवलोकन

१. भृगुनारायण नामक व्यक्ति जिसकी अपेक्षा एवं कार्योन्मुखी विवर समाप्त वर्णन के लाभम् लाभ

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

२. पर्याप्त विद्या वह विद्या है जो कि

२. यात्रा करने वालों पर रखा जाए।

(1) श्री बी.आर. यादव. वन मंत्री. क्रम्पनीज एक्ट. 1956 की १

(१) गोपनीय वार्षिक योग्यता, जो भवानी, प्रबन्धनात् ८५८, १९६८ की द्वारा ८१३-के दृष्टिकोण से उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का १३ वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष १९८७-८८ पटल पर रखेंगे।

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास लिमिटेड का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री शिव नेताम्, राज्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांखियकी, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांखियकी विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाये :-

(क) क्रमांक एफ.९-११-१५-तेईस-यो-२ दिनांक २५ जून, १९९५ ; तथा
 (ख) क्रमांक एफ.९-११-१५-तेईस-यो-२ दिनांक २९ जुलाई, १९९५,

पटल पर रखेंगे।

३. नियम 138 (1) के अधीन घ्यानाकर्षण

(1) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य, मुरैना सहकारी शक्कर कारखाने के प्रबंधकों द्वारा कृषकों से क्रय किये गये गन्ध की कीमत का भुगतान न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, मोती कश्यप, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जबलपुर शहर के जयनगर में एक राजनैतिक महिला कार्यकर्ता की हत्या होने वज्री और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ३४-बैंकुण्ठपुर के सदस्य श्री रामचन्द्र सिंह देव को अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र की बैठकों से अन्परिधित रहने की अन्जा.

5. नगरीय कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्री तनवन्न सिंह कीर, नगरीय कल्याण मंत्री, दिनांक 24 अगस्त, 1994 को पूछे गये अतारोकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 28) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दें।

6. वर्ष 1987-88 के आधिकार्यों के विवरण का उपस्थापन

श्री अच्युत मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1987-88 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन करेंगे।

७. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री शिव नेताम्, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) को बापस लिये जाने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक बापस लेंगे।

(2) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, महर्षि महेश योगी बैदिक विश्वविद्यालय विधेयक, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

ਮਾਲ ਨਾਡੀ ਪੰਜਾਬ - 2 -

(३) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 27 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक परस्थापित करेंगे।

(4) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि चित्रकूट यामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 22 सन् 1995) पर विचार किया जाय - चर्चा का पनर्हण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अर्द्ध वापर

1 घन्टा (1) प्रदेश में नकली खाद व बीज मिलने एवं समय पर खाद व बीज न मिलने 30 मि. से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, नेमीचंद जैन, गिरिराज मण्डलोई, रामविचार नेताम, बच्चन नायक, गोविन्द प्रसाद मिश्र, रघुनन्दन शर्मा, जालम सिंह पटेल तथा श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, चर्चा उठायें।

(2) प्रदेश के आदिवासी जिते बस्तर में स्थित बैलाडीला की लौह अयस्क खदान को विदेशी कम्पनी को दिये जाने के संबंध में सर्वश्री बुजपोहन अग्रवाल, कैलाश जोशी, बनवारीलाल अग्रवाल, बाबूलाल गौर, रामलखन शर्मा, बच्चन नेहरूक तथा श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।